राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक– एफ 5(प)(35)एसीटीएडी/माडा/SCA/जोधपुर/प्रस्ताव/2020–21/27232-38 दिनांक– 21/09/2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
जोधपुर।

विषय– विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत सडक निर्माण कार्यों की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग– प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक– 9107 दिनांक 08.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में शासन से अनुमोदन उपरान्त एवं जिला परिषद, जोधपुर के पत्रांक– 3017 दिनांक 30.07.2021 से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के क्रम में सी.सी. रोड निर्माण कार्यों की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी– ग्राम पंचायत

राशि लाख रू.

क्र. सं.	कार्य का नाम	क्षेत्र	तकनीकी स्वीकृति		संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति	देय राशि (प्रथम किश्त) 80%
			क्रमांक/दिनांक	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्राम पंचायत, उम्मेद नगर के वार्ड संख्या 6 में भील बस्ती से गोगादेवी के घर की तरफ सी.सी. रोड (दूरी 1250 मीटर) ग्राम व ग्राम पंचायत, उम्मेदनगर, पं.स.– तिंवरी	बिखरी	4/12.07.21	44.46	44.46	44.46	35.56

उपरोक्त कार्य हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र), जोधपुर को राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 56/2019–20 से राशि रू. 15.65 लाख एवं स्वीकृति संख्या 94/2019–20 में से राशि रूपये 19.91 लाख हस्तांतरित की जायेगी।

1 सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721
E- Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि उपरोक्त स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावें। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन नियम, 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावें एवं स्वीकृत कार्य की **geo-tagging** कर **soft copy** में **comm.tad@gmail.com** पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।
7. शेष देय राशि जिला परिषद की मांग अनुसार आयुक्तालय को उपयोगिता प्रमाण–पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर जारी की जावेगी।
8. कार्य स्थल पर जनजाति विकास विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावे।

(प्रज्ञा केवलरमानी) I.A.S.
आयुक्त

क्रमांक– एफ 5(प)(20)एसीटीएडी/माडा/SCA/सवाई माधोपुर/प्रस्ताव/2020–21/ दिनांक–

<u>प्रतिलिपी –</u>

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र), जोधपुर को राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 56/2019–20 से राशि रू. 15.65 लाख एवं स्वीकृति संख्या 94/2019–20 में से राशि रूपये 19.91 लाख हस्तांतरित करावें।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तिंवरी, जिला– जोधपुर।
6. निदेशक, मोनिटरिंग, लेखाकार (माडा), माडा मॉनिटरिंग, कम्प्यूटर शाखा, अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
7. गार्ड फाईल।

//
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1 सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721
E- Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in